

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत कतिपय मानक मदों में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-769/77-4-16-21एन/16, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के क्रम में संयुक्त प्रबंध निदेशक के पत्र संख्या-पिकप/लेखा/2555, दिनांक 31 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधोलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त निम्न विवरण के अनुसार धनराशि, जिसका कुल योग रु0 10114.00 (धनराशि रु हजार में) है, को संलग्न प्रपत्र संख्या-आर0ई0 संख्या-880/ई-6/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार पुनर्विनियोग कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-7 आयोजनेत्तर

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

105-विशेष जांच आयोग

03-एकल सदस्यी न्यायिक जांच आयोग

धनराशि रु0 हजार में

लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है।	अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि
17-बिनाया, उपश्रुलक और कर स्वामित्व	1772.48
09-विकृत देय	65.07
13-टेलीफोन पर व्यय	19.20
योग	1856.75

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3. धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/2015 दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण यथावश्यक प्रबंध निदेशक, पिकप की मांग पर किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा।
5. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत उक्त तालिका में अंकित लेखाशीर्षकों के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान की बचतों से पुनर्विनियोजित कर उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-177/दस-17 दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, लखनऊ, गोमतीनगर।
4. सचिव, एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, पिकप भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

पुनर्निर्माण के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सदम बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को माली-भांति देख लिया जाय)
अनुदानसंख्या व नाम अनुदान संख्या-7. कार्यालय-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) वित्तीय वर्ष 2016-17

प्रपत्र-बी0एफ0-9
(घनराशि रुजोर रूपये में)

निम्नलिखित विधियों से प्रस्तावित संकमण		वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा			
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनगत/आयोजनेत्तर	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकभित की जाने वाली घनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित घनराशि	संकमण के परभाव DRI अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (आयोजनेत्तर)					
105-विशेष जांच आयोग					
03-एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग					
01-वेतन	5900	2058	1856	1856	4043
योग :-	5900	2058	1856	1856	4043
निम्नलिखित विधियों में प्रस्तावित संकमण					
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनगत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकभित हेतु प्रस्तावित घनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की घनराशि	संकमण के परभाव उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8-10)
7	8	9	10	11	12
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (आयोजनेत्तर)					
105-विशेष जांच आयोग					
03-एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग					
09-विद्युत देय	0	65.07	65.07	65.07	65.07
13-टेलीफोन पर व्यय	0	19.20	19.20	19.20	19.20
17-किराया उपशुल्क और कर सामित्य	0	1772.48	1772.48	1772.48	1772.48
योग :-		1856	1856	1856	1856

1. अनुमोदित बजट में उपरोक्त मदों तथा किराया, विद्युत देय व टेलीफोन पर होने वाले व्ययों की व्यवस्था नहीं थी, जबकि उपर्युक्त व्यय वास्तविक रूप से हुए हैं। अतः उपरोक्तानुसार पुनर्निर्माण निवेदित है।

संख्या -आर०ई०सं०-८८०/ई-६/२०१७ दिनांक ३१ मार्च, २०१७

हस्ताक्षर.....

सेवा में,

नाम व पदनाम - अनिल कुमार, अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग औद्योगिक विकास विभाग।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम-योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या -४३२(।।)/७७-४-२०१७ तदिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
२. कोषाधिकारी, लखनऊ।
३. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
४. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-६

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम -अनिल कुमार, अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग-औद्योगिक विकास विभाग

आनुदेश

- (१) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मत्तदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगी के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारत व्यय से संबंधित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द भारित अंकित कर दिया जाय।
- (२) जिन लेखाशीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन व्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
- (३) कालम-२ तथा ४ में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।